# राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

**अपील संख्या :– 6367/2021**

लक्ष्मण सिंह **–अपीलार्थी**

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य मार्फत पुलिस महानिदेशक, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, मुख्यालय, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, जयपुर।
3. पुलिस अधीक्षक, मुख्यालय, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड, कार्यालय पुलिस महानिदेशक, राजस्थान, जयपुर।
4. कमाण्डेन्ट, मेवाड़ भील कोर, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।
5. अमृत लाल पटेल, खेरवाड़ा, जिला उदयपुर।

**–प्रत्यर्थीगण**

**प्रस्तुतिकरण की दिनांक** : 20.12.2021
**आदेश की दिनांक** : 26.03.2024

**उपस्थित –**
**अपीलार्थी की ओर से** : श्री बनवारी शर्मा, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री पुष्पेन्द्रपाल सिंह, राजकीय अधिवक्ता

**समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)**
**चेतन राम देवड़ा, सदस्य**

## आदेश

अपीलार्थी की तरफ से संशोधित अपील प्रस्तुत करने पर अधिकरण के आदेश दिनांक 18.08.2022 द्वारा संशोधित अपील को रिकार्ड पर लिया गया।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी को प्रारम्भ में एम.बी.सी. में कांस्टेबल के पद पर खेरवाड़ा, जिला उदयपुर में दिनांक 04.10.1989 को नियुक्त किया गया था और उसके बाद पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने और पीसीसी में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद उसे आरक्षण का कोई लाभ दिए बिना 22.10.2005 (अनुलग्नक–ए/1) द्वारा हैड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया गया। उप निरीक्षक (एमबीसी) के पद पर पदोन्नति के लिए रिक्तियां निर्धारित की गई थीं और राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियमों के नियम, 1989 (इसके बाद 1989 के नियम के रूप में संदर्भित) के नियम 27(3)(सी) के तहत आदेश दिनांक 26.06.2020 (अनुलग्नक–ए/2) द्वारा चयन बोर्ड का गठन किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या–4 द्वारा वर्ष 2018–19 के लिए हेड कांस्टेबल (सामान्य) से उप निरीक्षक (एमबीसी) पद पर पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थियों की जारी पात्रता सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 15 पर अंकित है (अनुलग्नक ए/3)। अपीलार्थी हैड कांस्टेबल के पद पर काफी वरिष्ठ था और अपीलार्थी को दी गई वरिष्ठता पर कभी किसी ने सवाल नहीं उठाया/चुनौती नहीं दी। एम.बी.सी. में उप निरीक्षक के वर्ष 2018–19 के रिक्त 10 पदों को भरने के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित

करने हेतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत अपीलार्थी ने पात्रता परीक्षा में भाग लेने हेतु आवेदन किया। अपीलार्थी को वायरलेस संदेश दिनांक 23.08.2020 (अनुलग्नक–ए/4) के माध्यम से पात्रता परीक्षा में भाग लेने के लिए पात्र पाया गया एवं उसे 18.08.2020 को आयोजित होने वाली पात्रता परीक्षा के चरण–I (लिखित परीक्षा) में उपस्थित होना आवश्यक था। अपीलार्थी को चरण– I (लिखित) परीक्षा में सफल घोषित किया गया था। लिखित परीक्षा में सफल घोषित किए गए उम्मीदवारों को दिनांक 27.08.2020 को 5वीं बटालियन, आरएसी घाटगेट, जयपुर में आयोजित होने वाली आउटडोर परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। वायरलेस संदेश दिनांक 23.08.2020 में अपीलार्थी का नाम नंबर 7 पर अंकित है (अनुलग्नक–ए/5)। (नोट– पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज में वायरलेस मेसेज 23.08.2020 को अपील में अनुलग्नक–4 एवं अनुलग्नक–5 दर्शाया गया है जबकि यह एक ही दस्तावेज है एवं इस पर अनुलग्नक–4 दर्शित है। अतः पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज में जो अनुलग्नक अंकित है उनमें एक का अन्तर है। सुविधा के लिए इस निर्णय में जो दस्तावेज जिस क्रमांक से अंकित है उसी अनुरूप लिखा जा रहा है। अतः यहा अनुलग्नक–5 को अनुलग्नक–4 पढ़ा जावे) आउटडोर परीक्षा और साक्षात्कार के बाद, विभाग ने हैड कांस्टेबल से उप निरीक्षक एम.बी.सी. के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र पाए गए उम्मीदवारों की एक चयन सूची तैयार की। उक्त चयन सूची में अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 7 पर अंकित है (अनुलग्नक–ए/5)। प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा जारी पत्र दिनांक 17.09.2020 (अनुलग्नक–ए/6) द्वारा विधिवत गठित चयन बोर्ड द्वारा हैड कांस्टेबल से उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्र पाए गए उम्मीदवारों को प्रिंसिपल, राजस्थान पुलिस में पदोन्नति कैडर पाठ्यक्रम (PCC) जो प्रशिक्षण केंद्र, जोधपुर 28.09.2020 से शुरू किया गया उसमें भाग लेने हेतु सभी 10 चयनित उम्मीदवारों को राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, जोधपुर में रिपोर्टिंग के लिए 27.09.2020 को कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी सहित 9 अन्य कार्मिक, एम.बी.सी. खेरवाड़ा से कार्यमुक्त होने के बाद दिनांक 27.09.2020 को शाम 4.30 बजे राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण में रिपोर्ट किया। अपीलार्थी ने बैच नंबर 42/2020 में प्रमोशन कैडर कोर्स पूरा कर लिया और उप निरीक्षक के पद के लिए प्रमोशन कैडर कोर्स सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद उन्हें राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, जोधपुर से दिनांक 28.11.2020 से कार्यमुक्त कर दिया गया (अनुलग्नक–ए/7)। अपीलार्थी ने दिनांक 28.9.2020 से 28.11.2020 की अवधि के लिए राजस्थान पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, जोधपुर में पदोन्नति कैडर पाठ्यक्रम पूरा किया और पीसीसी की अंतिम परीक्षा विधिवत गठित बोर्ड द्वारा आयोजित की गई और अंतिम परिणाम घोषित किया गया, जिसमें अपीलार्थी का नाम क्रमांक एक पर है (अनुलग्नक–ए/8)। चयन बोर्ड के कार्यवाही विवरण दिनांक 27.08.2020 में यह स्पष्ट

अंकित है कि क्रमांक 7 पर अंकित अभ्यर्थी लक्ष्मण सिंह (अपीलार्थी) अनुसूचित जाति संवर्ग एवं क्रमांक 8 पर अंकित अभ्यर्थी भगवान लाल अनुसूचित जनजाति संवर्ग से है एवं सेवाभिलेख के अनुसार भर्ती के समय उन्होंने ऊंचाई एवं सीना माप में आरक्षित सवंर्ग (एससी/एसीटी) की छूट का कोई लाभ लेने एवं वरिष्ठता सूची में भी वरिष्ठ होने से एससी/एसटी की रिक्तियाँ नहीं होने पर उनको सामान्य पद के विरूद्ध चयन सूची में लिया जा रहा है एवं दो पद भविष्य में समायोजित किए जायेगे। राज्य सरकार ने पत्र दिनांक 27.10.2015 के माध्यम से एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि यदि नियमों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों का निर्धारित प्रतिशत क्रमशः 16 और 12 का अभ्यंश पूरा हो गया है और आरक्षित श्रेणी का उम्मीदवार स्वयं की वरिष्ठता बिना आरक्षण का लाभ लिए, वरिष्ठ है तथा अनारक्षित वर्ग में उसके कनिष्ठ को पदोन्नति मिलती है, ऐसे आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को पदोन्नति से वंचित नहीं किया जायेगा। हालाँकि, आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा उपभोग किए गए ऐसे पद को भविष्य की रिक्तियों में समायोजित किया जाएगा ताकि अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसार 16 एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में पर्याप्तता का सिद्धान्त बनाए रखा जा सके (अनुलग्नक ए–9)। उसके पश्चात अमृतलाल पटेल हैड कांस्टेबल ने अपीलार्थी के वर्ष 2018–19 की रिक्ति के विरूद्ध उप निरीक्षक के पदोन्नति आदेश को माननीय उच्च न्यायालय में एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 12899/2020 में चुनौती दी, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 03.12.2020 से अपीलार्थी की पदोन्नति को रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अध्यधीन रखा गया। माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश के पश्चात आदेश दिनांक 24.03.2021 (अनुलग्नक ए–10) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या–2 द्वारा केवल 6 अभ्यर्थियों के पदोन्नति आदेश जारी किये। उसमें यह अंकित किया कि अपीलार्थी एवं श्री भगवानलाल के पदोन्नति आदेश पृथक से जारी किए जायेंगे। उसकी पालना में आदेश दिनांक 24.03.2021 के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 4 ने आदेश दिनांक 25.03.2021 (अनुलग्नक ए–11) के द्वारा केवल छह चयनित उम्मीदवारों के पोस्टिंग आदेश जारी किए और अपीलार्थी का पदोन्नति/पदस्थापन आदेश जारी नहीं किया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 03.12.2020 की गलत व्याख्या की गई है। प्रकरण में पुलिस मुख्यालय से पत्र दिनांक 28.07.2021 द्वारा मार्गदर्शन मांगा है (अनुलग्नक ए–13)। प्रत्यर्थी विभाग ने स्वयं के निर्णय राज्य सरकार के आदेश एवं परिपत्र के विपरीत आदेश दिनांक 22.09.2021 जारी किया (अनुलग्नक ए–14)। जिसमें रिव्यू करने की अनुमति दी गई है। इसके आधार पर चयन बोर्ड द्वारा रिव्यू कर अपीलार्थी का नाम चयन सूची से हटाकर अन्य कर्मचारी का चयन कर लिया है। प्रत्यर्थी विभाग के पत्र दिनांक 27.10.2015 (अनुलग्नक ए–15) में स्पष्ट है कि यदि

अभ्यर्थी अपनी वरिष्ठता में वरिष्ठ है एवं आरक्षण का लाभ नहीं लिया है उसे अनारक्षित रिक्ती के विरूद्ध विचारण किया जायेगा एवं अनारक्षित रिक्तियों को भविष्य की रिक्तियों से समायोजित किया जायेगा। रिव्यू डीपीसी कार्यवाही विवरण में अंकित किया कि अपीलार्थी का चयन 1989 का है, जबकि अनारक्षित कर्मचारी अमृतलाल का चयन 1985 का है एवं सामान्य वर्ग के किसी भी कर्मचारी, जो 1989 का चयनित हो, की पदोन्नति नहीं हुई है। अतः अपीलार्थी का चयन विधिवत नहीं मानते हुए चयन सूची से नाम हटा दिया। कार्यवाही विवरण अनुलग्नक ए–16 पर है। अपीलार्थी अपना दावा हैड कांस्टेबल की वरिष्ठता के आधार पर प्रस्तुत कर रहा है एवं हैड कांस्टेबल की दिनांक 24.08.2020 को जारी वरिष्ठता सूची (अनुलग्नक ए–17) में अपीलार्थी क्रम संख्या 35 पर एवं अमृतलाल का नाम क्रम संख्या 57 पर है। अपीलार्थी आदेश दिनांक 22.09.2021 जिससे रिव्यू की अनुमति दी गई, से असन्तुष्ट है एवं अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 22.09.2021 (अनुलग्नक ए–14), रिव्यू डीपीसी कार्यवाही (अनुलग्नक ए–16) को अपास्त करने एवं अपीलार्थी को वर्ष 2018–19 की एसआई की रिक्ति के विरूद्ध चयन बोर्ड कार्यवाही दिनांक 27.08.2020 को वैध एवं सही घोषित करने का अनुतोष चाहा है। साथ ही आदेश दिनांक 27.10.2015 को गैर कानूनी घोषित करने का एवं अपीलार्थी को एसआई (MBC) के पद का चयन बोर्ड के दिनांक 27.08.2020 के अनुरूप समस्त पारिणामिक परिलाभ का अनुतोष चाहा है।

प्रत्यर्थी विभाग की तरफ से जवाब पेश कर निवेदन किया कि अपीलार्थी दिनांक 04.10.1989 को एमबीसी खेरवाड़ा में एस.सी. वर्ग के आरक्षक का लाभ प्राप्त कर कानि. के पद पर नियुक्त किया गया। इसके पश्चात महानिरीक्षक पुलिस राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 18.12.2004 की अनुपालना में एमबीसी खेरवाड़ा में हैड कानि. (सामान्य) की वर्ष 2004–05 की एससी वर्ग की 5 रिक्तियों के विरूद्ध अपीलार्थी को एससी वर्ग का आरक्षण प्राप्त कर हैड कानि. के पद पर पदोन्नत किया गया (अनुलग्नक–आर/1)। अपीलार्थी सीधी भर्ती में वर्ष 1989 का भर्ती शुदा है एवं अमृतलाल पटेल वर्ष 1986 का भर्ती शुदा है एवं सीधी भर्ती में वरिष्ठ है। अपीलार्थी के कनिष्ठ होने पर भी हैड कानि. से उपनिरीक्षक सामान्य वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध चयन किया जो नियमानुसार सही नहीं है। महानिरीक्षक पुलिस मुख्यालय जयपुर के पत्र दिनांक 27.10.2015 द्वारा अधीनस्थ सेवा में विभिन्न पदों पर पदोन्नति हेतु योग्यात्मक परीक्षाओं में आयोजित हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 के अनुसार रोस्टर में नियमानुसार एससी एवं एसटी का निर्धारित अभ्यांश 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत पूर्ण हो जाता है और यदि अंतिम चयन में आरक्षित वर्ग का अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) वर्ग के अभ्यर्थी से स्वयं की वरिष्ठता अर्थात सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर बिना आरक्षण का लाभ लिए वरिष्ठ है तो उसे

अनारक्षित वर्ग की रिक्ति के विरूद्ध चयन किया जायेगा, जिसे आगामी वर्ष की आरक्षित वर्ग की रिक्तियों में समायोजित कर लिया जायेगा। अपीलार्थी 1989 का भर्ती एवं अमृतलाल निजी प्रत्यर्थी वर्ष 1986 का भर्ती है। अपीलार्थी ने वर्ष 2004–05 की हैड कानि. की एससी वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध आरक्षण का लाभ प्राप्त कर पदोन्नत किया गया है। राज्य सरकार के पत्र दिनांक 22.09.2021 में स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग के वर्ष 1989 के बाद किसी कार्मिक को पदोन्नत नहीं किया है। अतः अपीलार्थी का चयन उपनिरीक्षक के पद पर सामान्य के विरूद्ध किया जाना नियमानुसार सही नहीं है। अतः प्रत्यर्थी विभाग की कार्यवाही नियमानुसार होने से अपील खारिज करने का निवेदन किया।

हमने अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान अधिवक्ता की अपील पर बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात से स्पष्ट है कि अपीलार्थी आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति) का कार्मिक है। उसकी एमबीसी खेरवाड़ा में प्रथम नियुक्ति दिनांक 04.10.1989 को कांस्टेबल के पद पर हुई एवं अक्टूबर 2005 में हैड कानि. के पद पर अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित रिक्त पद के विरूद्ध पदोन्नति पद्रान की गई। यह पदोन्नति एससी संवर्ग हेतु उपलब्ध रिक्त पद के विरूद्ध की गई। इसके पश्चात उपनिरीक्षक (सामान्य) की वर्ष 2018–19 की रिक्यिाओं के विरूद्ध पदोन्नति प्रक्रिया आरम्भ की गई। इस वर्ष में कुल 10 पद रिक्त है, जिनमें सामान्य के 06 एवं एस.टी. के 4 पद रिक्त थे। अनुसूचित जाति संवर्ग का कोई पद रिक्त नहीं है। अपीलार्थी का नाम पात्रता सूची में होने से उसने पदोन्नति परीक्षा में भाग लिया एवं चयन बोर्ड द्वारा आयोजित बैठक दिनांक 27.08.2020 में अपीलार्थी सहित आरक्षित वर्ग के दो कार्मिकों को सामान्य/अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नति की अनुशंषा की गई। चयन बोर्ड ने अंकित किया कि सीधी भर्ती के समय ऊंचाई एवं सीने के माप में अपने वर्ग (SC/ST) का लाभ नहीं लेने एवं वरिष्ठता क्रम में होने से SC/ST की रिक्तिया नहीं होने से सामान्य वर्ग की रिक्तियों के विरूद्ध चयन सूची पर लिया गया एवं उक्त 2 सामान्य वर्ग को पदो को आगामी वर्षों के आरक्षित वर्ग की रिक्ति होने पर समायोजित किया जायेगा। इस आधार पर अपीलार्थी ने पीसीसी में भाग लेकर उसे उत्तीर्ण किया। इसके विरूद्ध सामान्य वर्ग के कार्मिक अमृत लाल पटेल ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका (SB CWP No. 12399/2020) अमृत पटेल बनाम राजस्थान राज्य में आदेश दिनांक 08.12.2020 द्वारा यह आदेशित किया कि निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 (वर्तमान अपील में अपीलार्थी) की एस. आई. के पद पर पदोन्नति इस रिट के अंतिम निर्णय या रिट में पारित अन्य अग्रिम आदेश के अध्यधीन रहेगी। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी के उप निरीक्षक के पद पर

पदोन्नति आदेश जारी नहीं किए गये एवं प्रकरण में पुलिस मुख्यालय द्वारा पत्र दिनांक 22.09.2021 द्वारा मार्गदर्शन दिया जाकर प्रकरण में रिव्यू करने की अनुमति प्रदान करते हुए नियमित परीक्षा हेतु गठित बोर्ड ही रिव्यू हेतु अधिकृत किया गया। रिव्यू बोर्ड प्रोसिडिंग में अपीलार्थी का नाम चयन सूची से पृथक करने एवं अमृत लाल को चयन सूची में लिया जाकर पीसीसी की अनुशंषा की गई। इस कार्यवाही को हस्तगत अपील में चुनौती देकर इसे अपास्त करने एवं चयन बोर्ड की पूर्व में सम्पादित कार्यवाही को नियमानुसार घोषित करने हेतु यह अपील प्रस्तुत की है।

उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार अपीलार्थी की एमबीसी में कांस्टेबल के पद पर 1989 में एवं निजी प्रत्यर्थी अमृत लाल पटेल की कानि. के पद पर भर्ती 1985 में हुई। अपीलार्थी आरक्षित वर्ग (SC) एवं निजी प्रत्यर्थी संख्या 5 अनारक्षित वर्ग का कार्मिक है। अपीलार्थी की हैड कानिस्टेबल के वर्ष 2004–05 की अनु. जाति की रिक्तियों के विरूद्ध हैड कानि. के पद पर पदोन्नति हुई एवं निजी प्रत्यर्थी की बाद के वर्षों में हैड कानि. के पद पर पदोन्नति हुई। इस प्रकार अपीलार्थी हैड कानि. के पद पर निजी प्रत्यर्थी से वरिष्ठ हो गया। वर्ष 2018–19 में हैड कानि. से उप निरीक्षक के पद पर पदोन्नति हेतु 10 रिक्तिया उपलब्ध थी, जिसमें अनारक्षित 6 एवं एसटी की 4 रिक्तिया है। चयन बोर्ड ने अपीलार्थी को हैड कानि. की वरिष्ठता के आधार पर अपीलार्थी के चयन की अभिशंषा कर दी, जिसे निजी प्रत्यर्थी ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी। तत्पश्चात प्रत्यर्थी विभाग द्वारा गठित रिव्यू बोर्ड द्वारा अपीलार्थी का नाम चयन सूची से हटा दिया एवं निजी प्रत्यर्थी के चयन की अभिशंषा की गई।

कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 द्वारा विभिन्न सेवाओं में आरक्षण के संबंध में निम्न प्रावधान जोड़ा गया हैः–

**"Provided that reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes employees, with consequential seniority, shall continue till the roster points are exhausted; and adequacy of promotion is achieved.**

**Once the roster points are complete the theory of replacement shall thereafter be exercised in promotion whenever vacancies earmarked for Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees occur.**

**If on the application of these provisions Scheduled Castes/Scheduled Tribes employees who had been promoted earlier and are found in excess of adequacy level, shall not be reverted and shall continue on ad-hoc basis, and also any employee who had been promoted in pursuance to Notification No. F7(1) DOP/A-II/96 dated 1-4-1997 shall not be reverted.**

**Notification No. F.7(1)DOP/A-II/96 dated 1-4-1997 shall be deemed to have been repealed w.e.f. 1-4-1997.**

**Explanation:- Adequate representation means 16% representation of the Scheduled Castes and 12% representation of the Scheduled Tribes in accordance with the roster point."**

यदि पदोन्नत पद पर आरक्षित वर्ग हेतु निर्धारित अभ्यंश पूरा हो जाता एवं आरक्षित वर्ग से कनिष्ठ सामान्य संवर्ग के कार्मिक को पदोन्नत किया जाता है तब उस दशा में आरक्षित वर्ग के पदों की अनुपलब्धता के कारण स्वयं की वरिष्ठता (सेवा में प्रवेश के समय की) धारक आरक्षित वर्ग के कार्मिक की पदोन्नति अनारक्षित वर्ग के पद पर की जायेगी या नही। इस विषय को कार्मिक विभाग द्वारा सचिव राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्र दिनांक 13.09.2013 द्वारा स्पष्ट किया गया, जो निम्न प्रकार हैः—

**''1. कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 11.09.2011 की पालना में पदोन्नति में अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में होगा।**

**2. यदि अनुसूचित जाति/जनजाति का प्रतिनिधित्व 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में पूर्ण है, तो Theory of replacement लागू होगी तथा उक्त वर्ग का पात्र राजसेवक उक्त वर्ग की रिक्ति पर ही पदोन्नत होगा। 8 या 8 से कम पद की स्थिति में Theory of replacement लागू नहीं होगा। वरन कार्मिक विभाग के परिपत्रादेश दिनांक 20.111997 के अनुसार एल शेप रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की कार्यवाही होगी।**

**3. परन्तु यदि अनुसूचित जातिध्जनजाति का प्रतिनिधित्व पूर्ण है किन्तु उक्त वर्ग का कोई पात्र राजसेवक अपनी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर बिना पारिणामिक वरिष्ठत्ता (Consequential Seniority) का लाभ लिये वरिष्ठ है तथा उसे पदोन्नत नहीं करने पर उससे सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राजसेवक पदोन्नत हो रहा है तो पहले उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जावेगा। किन्तु भविष्य में कुल पदों की गणना में उसके पद को आरक्षित की श्रेणी में गिना जाकर गणना की जावेगी। यदि आरक्षित वर्ग के किसी वरिष्ठ कार्मिक ने किसी स्तर पर भी पारिणामिक वरिष्ठता का लाभ लिया है, तो उसे क्रमशः 16 प्रतिशत एवं 12 प्रतिशत के अनुपात में पद रिक्त होने पर ही पदोन्नति प्रदान की जायेगी। परन्तु यदि सेवा में प्रवेश के समय का कनिष्ठ राजसेवक पदोन्नत हो रहा है तो उक्त स्थिति में भी उसे अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत किया जायेगा।**

**4. सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता देखते समय यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वह आरक्षण का लाभ लेकर चयनित हुआ है अथवा मैरिट के आधार पर यदि आरक्षण का लाभ लिए बिना चयनित कोई कार्मिक किसी एक स्तर पर पारिणामिक वरिष्ठता का**

**लाभ लिए भी हो, तो भी सेवा में प्रवेश के समय की वरिष्ठता के आधार पर अनारक्षित पद के विरूद्ध पदोन्नत हो सकेगा बशर्ते कि आरक्षित श्रेणी में कोई पद रिक्त नहीं हो।**

**5. यदि उपरोक्त प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो तथा कैडर में पद कम हो, तो कैडर को संतुलित (Balance) करने की दृष्टि से अतिरिक्त पद की सृजन के प्रस्ताव कार्मिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को प्रेषित किये जा सकते है, किन्तु यह स्पष्ट है कि सेवा में प्रवेश के समय का पात्र वरिष्ठ राजसेवक पहले पदोन्नत होगा तथा वरिष्ठता भी उसी की रहेगी।"**

उक्त विधिक स्थिति के दृष्टिगत स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा पत्र दिनांक 27.10.2015 (अनुलग्नक ए–9) एवं पत्र दिनांक 22.09.2021 कार्मिक विभाग द्वारा जारी पत्र 13.09.2013 के अनुरूप है एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा रिव्यू बोर्ड द्वारा की गई कार्यवाही नियम संगत है। निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 सेवा में प्रवेश के समय अपीलार्थी से वरिष्ठ होने के आधार पर अनारक्षित पद हेतु उपलब्ध रिक्ति के विरूद्ध उपनिरीक्षक (सामान्य) के पद पर पदोन्नति का पात्र है।

अतः हम आलौच्य आदेश में हस्तक्षेप का कोई विधिक आधार नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

**(चेतन राम देवड़ा)**
**सदस्य**

**(अनन्त भंडारी)**
**सदस्य (न्यायिक)**